

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
पीठासीन अधिकारी :- हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस
राजस्व वाद संख्या :- 36 / 2015

वादी

भंवरदास पुत्र श्री चरणदास
जाति वैष्णव निवासी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर हॉल अहमदाबाद
गुजरात

बनाम

- प्रतिवादीगण**
1. किशनदास पुत्र श्री चरणदास
 2. पारसराम उर्फ महेन्द्र पुत्र
चरणदास जातियान वैष्णव
निवासी बिलाड़ा, तहसील
बिलाड़ा, जिला जोधपुर
 3. तहसीलदार बिलाड़ा जिला
जोधपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

निर्णय

दिनांक :- 08.03.2017

पत्रावली आज बमुकाम बिलाड़ा प्रस्तुत हुयी। आवाज दिलायी गयी। वादी स्वयं अथवा वादी की ओर से उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं। बार-बार आवाजे दिलायी गयी मगर वादी व उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं आया। अतः वादीया का वाद अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसलशुमार व नम्बर से कम होकर दाखिल दफ़तर हो। निर्णय सरै इजलास सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा